कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा
कृषि विश्वविद्यालय, कोटा

नीलामी प्रपत्र : कार्यालय में नकारा/अनुपयोगी सामानों की नीलामी
नीलामी प्रपत्र शुल्क : रूपये 500/– :
नीलामी प्रपत्र प्राप्त करने का समय : 14.02.2025 प्रातः 10:00 बजे से
नीलामी प्रपत्र जमा करने का समय : 25.02.2025 दोपहर 12:00 बजे तक
प्राप्त सीलबन्द नीलामी खोलने का समय : 25.02.2025 दोपहर 2:00 बजे तक
धरोहर राशिः 15000/–रूपये (UTR/Reference न. ....दिनांक.......................)

नीलामी किए जाने वाले सामानों का सक्षिप्त विवरण

क्र. स.	विवरण	अनुमानित मुल्य रूपये	बोलीदाता की राशि	
			रूपये अंको में	रूपये शब्दों में
1.	ट्रेक्टर (3), जीप(2), बोलेरो(1), मिनी बस (1) एवं कृषि उपकरण	450000		
2.	लकड़ी का फर्नीचर, लोहे का सामान, जूट बेग, स्टील अलमारी, रेक, टायर व अन्य सामान	300000		
	कुल राशि	**750000**		

हस्ताक्षर बोलीदाता

नियम व शर्तेः

1. नीलामी सीलबन्द लिफाफे में ही स्वीकृत की जावेगी।
2. आरक्षित मुल्य पर 2% धरोहर राशि देय होगी।
3. धरोहर राशि रूपये 15000/– व नीलामी प्रपत्र शुल्क रूपये 500/– कुल राशि रूपये 15500/– क्षेत्रीय निदेशक अनुंसधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, उम्मेदगंज, कोटा (Zonal Director Research, Agricultural Research, Station, Ummedganj, Kota (R.F.) के बैंक खाता संख्या 57360100004733, IFSC code: BARB0DHAKAR बैंक ऑफ बड़ोदा, शाखा धाकड़खेड़ी, कोटा में RTGS/NEFT/IMPS द्वारा जमा कराने एवं जमा की रसीद नीलामी प्रपत्र के साथ संलग्न करने पर ही नीलामी फार्म स्वीकार किया जावेगा।
4. नीलामी स्वीकृत करने व अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार कमेटी का होगा।
5. बोलीदाता फर्म जी.एस.टी. रजिस्टर्ड होने पर ही नीलामी प्रपत्र स्वीकार किया जायेगा। फर्म को जी. एस.टी., पेन कार्ड एवं मालिक का आधार कार्ड फार्म के साथ संलग्न करना होंगा।
6. शर्तो में किसी प्रकार की कमी व बढ़ोतरी उपस्थित कमेटी द्वारा की जा सकती है।
7. सामान जहॉ है जैसा है उसी हालात में नीलाम किया जावेगा। बोलीदाता नकारा/अनुपयोगी सामानों का अवलोकन कार्यालय समय में आकर कर सकते है।
8. किसी भी विवाद का न्यायालय कोटा होगा।
9. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) जिसके नाम बोली स्वीकृत की जावेगी, को सामान की पूरी राशि उसी समय धरोहर राशि को कम करते हुए कार्यालय में जमा करवाकर सामान को उसी दिन स्वयं के खर्चे पर कार्यालय समय में उठाना होगा। उसके बाद सामान की इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। राज्य सरकर द्वारा समय समय पर जारी निर्देशानुसार नियमानुसार 18% GST व 2% TDS व अन्य कर लागु होगा जो क्रेता को उच्चतम बोली राशि पर वहन करना होगा।
10. नीलामी फार्म दिनांक 25.02.2025 को दोपहर 12:00 बजे तक जमा कराना होगा एवं इसके पश्चात फार्म स्वीकार नही किया जायेगा। प्राप्त सीलबन्द नीलामी उसी दिन दोपहर 2:00 बजे मनोनित कमेटी द्वारा उपस्थित बोली दाताओं के समक्ष खोले जाएंगे।
11. बोलीदाता फर्म द्वारा अपने बैंक खातों का विवरण (Firm Name, Account No., IFSC code, Branch etc.) अपने लेटरपेड़ पर मय सील प्रस्तुत करना होगा। जिससे सफलतम बोलीदाता द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण राशि जमा करने के उपरान्त अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि लोटाई जा सके।
12. नीलामी का सामान कार्यालय समय में गेट पास प्राप्त कर मुख्य गेट से ले जाना होगा।

13. केन्द्र से नीलामी के सामान के अलावा और किसी भी सामान को क्षति नही पहुँचाना है। क्षति पहुँचाने पर बोलीदाता की समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी एवं नियमानुसार जुर्माना देय होगा।
14. बोलीदाता को नीलामी राशि नीलामी प्रपत्र में अंकों व शब्दों दोनो में अंकित करनी होगी। यदि अंको व शब्दों में अन्तर पाया जाता है तो शब्दों में अंकित राशि को सही माना जावेगा।
15. कमेटी को बोली दाताओं की बोली राशि कम लगती है तो पार्टियों से निगोशिएसन किया जावेगा।
16. सफल बोलीदाता (उच्चतम बोलीदाता) द्वारा यदि तय समय पर सम्पूर्ण राशि जमा नही की जाती है तो धरोहर राशि जब्त कर, द्वितीयक बोलीदाता की बोली स्वीकृत करने की कार्यवाही की जावेगी। द्वितीय बोलीदाता द्वारा भी यदि बोली राशि जमा नही की जाती है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर GF&R के तहत नियमानुसार नीलामी की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

13.02.25

क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान

मैने सभी शर्ते ध्यानपूर्वक पढ़ ली है एवं मुझे मान्य है।

हस्ताक्षर बोलीदाता ....

नाम व पता ....

मोबाईल न. ....